


कार्यालय मुख्य अभियन्ता , सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.45/पीएण्डएम-II/परिपत्र/05/ 343

दिनांक 11/12/09


परिपत्र संख्या :- आर-09/05

इस कार्यालय के परिपत्र-3- 2007-08 पत्र क्रमांक प.45/पीएण्डएम-II/ परिपत्र/07/54 दिनांक 5.5.07 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि संवेदक द्वारा डामर के कार्य के साथ ही बर्म्स का निर्माण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करवाना सुनिश्चित करें। संवेदक को डामर के कार्य का भुगतान बर्म्स के निर्धारित मापदण्ड के पश्चात् ही किया जावे।

  
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय सानिवि राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, सानिवि राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव शासन सचिव, सानिवि राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राज मार्ग/पीएमजीएसवाई, /एसएण्डएस सानिवि राजस्थान जयपुर।
5. अति. मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., संम्भाग ..... (समस्त)
6. अधीक्षण अभियन्ता सानिवि वृत ..... (समस्त)
7. अधिशाषी अभियन्ता सानिवि खण्ड ..... (समस्त)

  
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।